राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)/ग्रावि–5/PMAY-G/GOI Letter/2023–24/07070 जयपुर दिनांक अगस्त, 2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कार्यान्वयन के संबंध में।
प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.08.2024।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.08.2024 (आवश्यक कार्यवाही प्रति संलग्न) द्वारा योजना को वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक निरन्तरता के क्रम में मंजूरी/निर्देश जारी किये गये हैः–

1. योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण आवासों को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 31.03.2024 तक पूर्ण कराना।
2. संशोधित 10 पात्रता मानदंडों के आधार पर परिवारों की पात्रता की जांच कर आवास प्लस सूची को अद्यतन करना।
3. लाभार्थियों को सहायता की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख और उत्तर पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख की मौजूदा दरों पर जारी रहेगी।
4. नीति आयोग एवं ईएफसी (EFC) द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद मार्च, 2026 से आगे योजना को जारी रखना।
5. योजनान्तर्गत कार्यक्रम निधि का 2% प्रशासनिक निधि, प्रशासनिक निधि के विभाजन के साथ 1.70% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं 0.30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अतः आग्रह है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने की निर्धारित अवधि 31.03. 2024 के उपरान्त भी आदिनांक को प्रगतिरत 32903 (जिलेवार संलग्न) आवासों की नियमित समीक्षा कर दिनांक 30.9.2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(के.के शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त।

RajKaj Ref
9784858

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kishor Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2024.08.14 13:25:05 IST
Reason: Approved